



नगर निगम, शाहजहाँपुर।
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 09.02.2021



- नगर आयुक्त महोदय द्वारा आज दिनांक 09.02.2021 को हॉकी क्लब के सामने बने सामुदायिक शौचालय एवं सुभाष नगर में सार्वजनिक शौचालय का किया गया निरीक्षण।
 - नगर आयुक्त महोदय द्वारा आज दिनांक 09.02.2021 को ककरा में निर्माणाधीन एम0आर0एफ0 सेन्टर का किया गया निरीक्षण। कार्य की धीमी गति पाये जाने पर जताई नाराजगी।
 - नगर आयुक्त महोदय के निर्देश पर आज दिनांक 09.02.2021 को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सभी 04 जोनो में सफाई व्यवस्था एवं ओडीएफ प्लस प्लस के अनुरूप नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बने सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का किया गया निरीक्षण।
 - सरकारी गजट उ0प्र0 के अनुसार नगर निगम सीमान्तर्गत सार्वजनिक जगहों पर शौच, मूत्र विसर्जन करने पर लगेगा जुर्माना।
1. नगर आयुक्त महोदय द्वारा आज दिनांक 09.02.2021 को हॉकी क्लब के सामने बने सामुदायिक शौचालय एवं सुभाष नगर में सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शौचालय में सार्वजनिक शौचालयों की नियमित रूप से साफ- सफाई, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त मो0 सुभाष नगर में सार्वजनिक शौचालय में पुर्नउद्धार का कार्य चल रहा है, जिसको नगर आयुक्त महोदय द्वारा कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस मौके पर उपनगर आयुक्त श्री आशुतोष कुमार दुबे, अधिशासी अभियन्ता श्री मोद नारायण झा एवं सफाई एवं खाद्य निरीक्षक श्री पवन कुमार उपस्थित रहे।
 2. नगर आयुक्त महोदय द्वारा आज दिनांक 09.02.2021 को ककरा में निर्माणाधीन एम0आर0एफ0 सेन्टर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन एम0आर0एफ सेन्टर में धीमी गति चल रहे निर्माण कार्य को देखकर नगर आयुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इस मौके पर उपनगर आयुक्त श्री आशुतोष कुमार दुबे, अधिशासी अभियन्ता श्री मोद नारायण झा एवं सफाई एवं खाद्य निरीक्षक श्री पवन कुमार उपस्थित रहे।

3. नगर आयुक्त महोदय के निर्देश पर आज दिनांक 09.02.2021 को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सभी 04 जोनों में सफाई व्यवस्था एवं नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बने सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का किया गया निरीक्षण। जिसके अन्तर्गत उप नगर आयुक्त श्री आशुतोष कुमार दुबे द्वारा जोन-1 में दिलाजाक वार्ड के मो0 रामनगर कालोनी,दिलाजाक,आर्यनगर कालोनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक पाठशाला (बालिका) के पास कूड़ेदान न होने के कारण कूड़ा फैला पाया गया,जिसको देख उप नगर आयुक्त महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई तथा पाई गई गन्दगी को तत्काल प्रभाव से सफाई कराने हेतु एवं कूड़ेदान को रखवाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान रामनगर मंदिर के पास नाली की सिल्ट निकली पाई गई। जिसको मौके पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उठवाया जा रहा था। निरीक्षण के समय सभी कर्मचारी जिसमें 08 स्थाई,04 संविदा 06 आउटसोर्सिंग एवं 01 ई- रिक्शा चालक डियूटी पर तैनात पाये गये। इसके साथ ही उप नगर आयुक्त महोदय द्वारा ओडीएफ प्लस प्लस के अनुरूप नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बने सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों मो0 खटकाना, रोडवेज, इन्द्रानगर कालोनी,एस0पी आफिस के पास आधुनिक, कचहरी गुरुद्वारा के सामने, खिरनीबाग सराय, सुभाषनगर कालोनी एवं शहीद उद्यान नाले के पास बने शौचालयों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर के समस्त सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों की नियमित रूप से साफ- सफाई, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय उपनगर आयुक्त श्री आशुतोष कुमार दुबे के साथ सफाई एवं खाद्य निरीक्षक श्री पवन कुमार एवं कर्मचारी उपस्थित पाये गये। इसी के क्रम में सहायक नगर आयुक्त श्रीमती रश्मि भारती द्वारा जोन-02 में मो0 ककरा,मालखाना मोड एवं जोन-3 के मो0 अब्दुल्लागंज में बने सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण किया गया। इसी के क्रम में सहायक नगर आयुक्त अंगद गुप्ता द्वारा जोन-04 में मो0 गढ़ी गाड़ीपुरा वार्ड का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान पाया कि एक नाला चोक पाया गया,उस नाले की सफाई अपनी उपस्थिति में कराई एवं मो0 फत्तेपुर रेली में बने सामुदायिक शौचालय की सफाई का निरीक्षण किया गया तथा शौचालय की नियमित रूप से सफाई कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
4. आज दिनांक 09.02.2021 नगर निगम सीमान्तगत रोडवेज पर परिसर के पास नगर निगम की टीम ने 02 लोगो द्वारा खुले स्थान में मूत्र त्याग करते हुये पाये जाने पर अंकन रू0 100 प्रति व्यक्ति जुर्माना वसूल किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में नगर निगम के समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि खुले स्थान एवं सड़क किनारे शौच/ मूत्र विसर्जन करते हुये पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध उक्तानुसार आर्थिक रूप से दण्डित किया जायें। सरकारी गजट उ0प्र0 के अनुसार नगर निगम सीमान्तगत सार्वजनिक जगहों पर शौच, मूत्र विसर्जन करने पर लगाये जाने का प्रावधान है। नगर निगम सीमान्तगत खुले में शौच करने पर 500 रू0 का जुर्माना लगेगा एवं खुले व सड़क के किनारे मूत्र विसर्जन करने 100 रू0 एवं आम रास्ता,सड़क व मकान के सामने गाय,भैंस,बकरी,कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा-घोड़ा, सुअर इत्यादि जानवरों से गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगेगा। नगर निगम द्वारा कुल सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय- 23 एवं मूत्रालय-27 बनवाये गये हैं, जो नगर निगम स्वच्छता टास्क फोर्स द्वारा नियमित रूप से साफ-सफाई कराई जा रही है। नगर आयुक्त द्वारा समस्त नगरवासियों से अपील की गई कि खुले एवं सार्वजनिक स्थानों पर लोगो द्वारा शौच एवं मूत्र विसर्जन करने पर सफाई एवं खाद्य निरीक्षक श्री हरवंश दीक्षित के वाट्पअप नम्बर- 7985295224 पर फोटो भेज कर अवगत करायें, ताकि ऐसे लोगो के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकें।